न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम राजेन्द्र।

दण्डवाद सं0—524/2019
मु0अ0सं0—550/2018
धारा—60 आबकारी अधि0
थाना—ठाकुरद्वारा।

19.12.2019

अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—550/2018 धारा—60 आबकारी अधि0 थाना—ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन आख्यानुसार अपराध जमानतीय है।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा पच्चीस—पच्चीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।